

संस्था
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

अध्यक्ष

आबोहवा, इन्डियन ऑफिस बिल्डिंग सोसायटी, एमएस काउन्सिलिंग, 8/340 विकास नगर, लखनऊ।

संस्था का नाम: इन्डियन ऑफिस बिल्डिंग सोसायटी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज ग्राम
अमरसपड़ा जिला: बाराबंकी।

पत्रांक:- प्राशिप/परिषद/2022/7387

लखनऊ:दिनांक- 08-08-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 04-08-2022 को सदर्भित करने का कष्ट करे जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (प्यासशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/पी0सी0आई0 नई दिल्ली से प्रकृत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as/12561-63 Online Application for 2022-23(DS), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 04-08-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था का सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पी0सी0आई0/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पूर्ण न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

राज्यीय
Shan
(एफ0 आर0 खान)
सचिव

तदिनांक- 08-08-2022

पु0सं0- प्राशिप/परिषद/2022/7388-89

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, 3040 कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउन्सिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एचान-ए गालिय मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(एफ0 आर0 खान)
सचिव

इन्डियन ऑफिस बिल्डिंग सोसायटी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज ग्राम अमरसपड़ा पुरी रोड, बाराबंकी